ट्रैक्टर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया

छबड़ा, (निसं)। स्थानीय पुलिस ने बारां ज़िले में ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों के कब्ज़े से चोरी का एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक जिला बारां राज कुमार चौधरी ने बताया कि 17 अप्रेल को रामदयाल पुत्र कन्हैयालाल मीणा निवासी खेड़ी हाल गणपती नगर छबड़ा थाना छबड़ा जिला बारां ने एक रिपोर्ट पेश की कि मैने 15 अप्रेल को मेरा ट्रैक्टर मय ट्रौली के रात्रि के समय मेरे मकान के सामने खड़ा किया था मेने मध्य रात्री में उठकर देखा तो मेरा ट्रेक्टर व ट्रोली मकान के सामने नहीं मिले मेरा ट्रेक्टर व ट्रोली को कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देशन में, राजेश चौधरी अति पुलिस अधीक्षक बारां व विकास कुमार वृताधिकारी छबड़ा के सुपरविजन में राजेश खटाना थानाधिकारी छबड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। एएसआई जगदीश प्रसाद प्रभारी तकनीकी शाखा बारां से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई एवं सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये तो यह तथ्य प्रमाणित हुये कि एक विशिष्ट संगठित अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गैंग पूरे जिले में सक्रिय है जो योजनाबद्ध तरीके से विशेष टीम के द्वारा ट्रैक्टर चोरी की कार्यवाही को अंजाम देते है। इन चोरी के ट्रैक्टरों को एम.पी. व यू.पी. में चंबल नदी के मुहाने पर अवैध बजरी खनन में प्रयोग करते हैं।

पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

उक्त गैंग के एक सदस्य को पूर्व में 27 मई 2025 को नाकाबंदी व घेराबंदी कर अभियुक्त हृदेश उर्फ पूनम कुशवाह कुशवाह निवासी सावतखेड़ी थाना राधोगढ़ जिला गुना (म.प्र.) को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक ट्रैक्टर बरामद किया। उक्त मुल्जिम ने अनुसंधान के दौरान अपने साथी अभिषेक कुशवाह व अन्य के साथ मिलकर 15 अप्रेल को कस्बा छबड़ा से ट्रेक्टर मय ट्रॉली के चोरी करना बताया। इस पर गठित टीम द्वारा मुल्जिम अभिषेक कुशवाह को गिरफ्तार किया गया व मुल्जिम हृदेश उर्फ पूनम कुशवाह को जरिये प्रोडेक्शन वारंट के जेल से हिरासत में लेकर अनुसंधान किया गया। वहीं अभियुक्त अभिषेक कुशवाह की निशादेही से ट्रेक्टर को बुधवार को हमीरपुर मप्र. के जंगलों से बरामद किया गया।

सायबर ठगी के दो शातिर ठग भीलवाड़ा से गिरफ्तार

- आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन जप्त किये

कोटा, (निसं)। सायबर पुलिस टीम ने सायबर ठगी की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए सायबर ठगी के दो शातिर ठगों को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि फरियादी सलमान ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट विज्ञान नगर थाने में दी। रिपोर्ट में कहा कि टेलिग्राम एप पर नौकरी दिलाने के बहाने प्रोडेक्ट रटिंग के नाम पर कान्टेंट स्क्वायर कंपनी का लिंक शेयर कर पैसे कमाने का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों से करीब 20 लाख रूपये ट्रांसफर करवा लिये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। शहर एसपी ने बताया कि ठगों की गिरफ्तारी के लिये सायबर थाने के पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन मे सायबर थानाधिकारी सतीश चन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने बैंकों से प्राप्त रिकॉर्ड का विशलेषण कर संदिग्ध वेबसाईट के डोमेन संबधित रिकॉर्ड व सीडीआर का गहन विशलेषण कर आरोपियों की पहचान कर कार्यवाही करते हुए शिव नगर निवासी दानिश खान (20) एवं जिला भीलवाड़ा के रैगर मोहल्ला निवासी मनोज कुमार (25) को भीलवाड़ा से डिटेन कर गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन जप्त किये एवं परिवादी को करीब 2 लाख रूपये की राशि रिफंड करवाई जा चुकी है। मामले में अनुसंधान जारी है।

लव मैरिज प्रकरण : मां व भाई ने जबरन बेटी का अपहरण किया

- अपहरण का वीडियो वारयल, पति ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया
- पीड़ित पति ने एसपी वंदिता राणा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई

अजमेर, (कासं)। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में लव मैरिज के मामले में विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है। मां, भाई और भाई के दोस्त बेटी की ननद के घर पहुंचे और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी में डाल कर ले गए। पीड़ित पति और ननद ने जब विरोध किया तो उनसे भी मारपीट की। दो जून को हुए इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाहिता के पीहर वाले उसे जबरन लेकर जाते नजर आ रहे हैं। पति ने विवाहिता की मां, भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ मारपीट करने और किडनैपिंग की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर नाराज पति ने बुधवार को एसपी वंदिता राणा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है।

अजमेर के खाजपुरा निवासी पीड़ित पति संजय ने बताया कि वो और उनकी पत्नी आदर्श नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों की छह साल पहले मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के साथ ही मिलना जुलना शुरू हुआ। इसके बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों के परिवार को भी फैसले के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। पत्नी के परिवार का कहना था कि उनकी बेटी बीटेक है और मैं सिर्फ 12वीं पास हूं। पति संजय ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 को आर्य समाज में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से ही परिवार वाले धमकियां दे रहे थे, जिससे परेशान होकर वह इंदौर चला गया था। पीड़ित की ओर से आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत भी दी गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित संजय ने आरोप लगाया कि 1 जून को अजमेर वापस आया, तब अपनी बहन के ससुराल मिलने गया था, साथ में पत्नी भी थी। इसकी भनक पत्नी के घरवालों को लग गई। तब उसकी मां, भाई और उसके साथी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आए। वे जबरन पत्नी को बाल पकडकर घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। जब मैंने और मेरी बहन ने विरोध किया तो मारपीट की। मेरी बहन का मोबाइल भी तोड़ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाहिता के पीहर वाले उसे जबरन ले जाते नजर आए है।

पीड़ित पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के अपहरण के बाद वह तुरंत आदर्श नगर थाने पहुंचा, लेकिन उसे रात तक थाने पर ही बैठाए रखा। पति ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

आदर्श नगर थाना प्रभारी छोटेलाल ने बताया कि मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 2 जून को अपहरण का मामला हुआ और 3 जून को परिवार ने शिकायत दी है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पति ने पत्नी को फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

वहीं पीड़ित पति संजय अपनी बहन के साथ बुधवार सुबह एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी वंदिता राणा का शिकायत दी। पीड़ित ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी के परिवार वाले लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे उसकी जान का खतरा है। पीड़ित ने बताया कि वह प्राइवेट नौकरी करता है और उसकी पत्नी बीटेक है, जिसे वह आगे पढ़ाने की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद पुलिस ने पत्नी के परिवार को पाबंद किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, जिसका वीडियो भी पीड़ित के पास है।

व्यक्ति विशेष के नाम से घोषित तीन नए राजस्व ग्राम की सृजन अधिसूचना निरस्त

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यक्ति विशेष के नाम से घोषित तीन नए राजस्व ग्राम की सृजन अधिसूचना को निरस्त किया है। जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के मूल राजस्व ग्राम ख़िरजा भोजा में से तीन नए ग्राम पृथ्वीराज सिंह नगर, लादानी नगर और हड़मतसिंह नगर बनाये जाने का मामला है। मामले में अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने याची डूंगर सिंह आदि की ओर से पैरवी की। राजस्थान हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ से भारी राहत मिली है।

जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील, पंचायत समिति सेखाला के ग्राम पंचायत ख़िरजा फतेहसिंह के मूल राजस्व ग्राम ख़िरजा भोजा निवासी डूंगरसिंह सहित छह अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने रिट याचिका दायर कर बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी राजस्व ग्राम में आबादी बढ़ जाने और मूलभूत सुविधाओं के सुलभ और नज़दीक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत परिपत्र जारी कर नये ग्राम बनाये जाने के लिए निर्धारित मापदंड और नियम बना रखे हैं और उसी के अनुरूप समय की जरूरत अनुसार नए राजस्व गाँव प्रस्तावित और सृजित होते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दुर्भावनापूर्वक और राजनैतिक पार्टी के व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के एक मात्र उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं के मूल राजस्व ग्राम ख़िरजा भोजा में से तीन नये ग्राम प्रस्तावित कर दिए गए।

जिस पर याचिकाकर्ताओं सहित सभी ग्रामवासियों ने लिखित में आपत्तियां भी पेश की लेकिन स्थानीय विधायक की विशेष अनुशंषा और दख़लअंदाजी होने से सभी आपत्तियां को दरकिनार करते हुए और अपेक्षित मापदंडों को कंसीडर किए बिना ही व्यक्ति विशेष के पूर्वजों के नाम से तीन नए राजस्व गांव बनाते हुए 10 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। जिसे पूर्व में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। हाइकोर्ट की एकलपीठ ने उक्त अधिसूचना 10.01.2025 को निरस्त करते हुए 18.02.2025 को रिपोर्टेबल निर्णय पारित किया गया।

बावजूद उक्त निर्णय के, राज्य सरकार ने फिर उन्हीं नाम से वापिस तीन नए राजस्व गांव सृजित करने की अधिसूचना 26 मार्च, 2025 जारी कर दी गयी, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गयी। याचीगण की ओर से अधिवक्ता ख़िलेरी ने बताया कि नियमानुसार नए राजस्व ग्राम के लिए आबादी, चरागाह, सिवायचक जमीन, आबादी जमीन, आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार इत्यादि के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही नए राजस्व गांव का सृजन किया जा सकता है लेकिन राजस्व विभाग द्वारा ग्राम ख़िरजा भोजा से तीन नए गांव घोषित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना 26 मार्च 2025 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 में विहित प्रक्रिया और प्रावधानों के विपरित होकर मात्र राजनैतिक व व्यक्ति विशेष के नाम से होने से गैरवाजिब, गैरकानूनी और अवमानननाजनक भी है। हाइकोर्ट की एकलपीठ द्वारा एक बार अधिसूचना को निरस्त कर देने के बावजूद, पुनः उन्हीं व्यक्ति विशेष के नामों से अधिसूचना जारी करने का राज्य सरकार का कृत्य गैरकानूनी व अवमाननाकारक भी है। प्रकरण के तथ्यों, मामले की परिस्थितियों का अनुशीलन कर और पूर्व न्यायिक दृष्टान्तों से सहमत होते हुए राजस्थान हाइकोर्ट की एकलपीठ ने शेरगढ़ तहसील के मूल ग्राम ख़िरजा भोजा से नवसृजित तीन राजस्व गांव के सर्जन अधिसूचना दिनाँक 26 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया। साथ ही जोगाराम बनाम सरकार में पारित पूर्व निर्णय अनुसार राज्य सरकार को नए गांव सृजित करने की छूट रहेगी।

ज्यूस कॉर्नर-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के नहर पुलिया स्थित एक ज्यूस कॉर्नर पर सोमवार को चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। ज्यूस कॉर्नर पर करीब एक महीने पुराने फल स्टोर किए हुए मिले। वहीं डीप फ्रीज में भी सफाई नहीं मिली। उसके पास ही एक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की, जिसमें काला तेल, पुरानी ग्रेवी मिली। इस पर उन्हें नष्ट करवाया।

डॉ. विकास मारवाल ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पाली शहर के नहर पुलिया स्थित ज्योति ज्यूस कॉर्नर पर टीम पहुंची। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यहां जांच की तो काफी दिन पुराने कटे फल स्टोर किए हुए मिले। इसके साथ ही जिन्हें नष्ट करवाया गया। डी फ्रीज भी गंदा मिला। इसी तरह टीम ने उसके पास स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में भी जांच की। जहां डी फ्रीज में ब्रांडेड कम्पनियों की फंगस लगी आईस्क्रीम मिली। पांच से सात दिन पुरानी ग्रेवी मिली जो बर्गर तैयार करने में उपयोग ली जाती थी। इस पर उसे नष्ट करवाया।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड

- जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय बीकानेर के बजाय झालावाड़ रखा गया, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए

बीकानेर, (निसं)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ढल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। ढल्ला का मुख्यालय बीकानेर के बजाय झालावाड़ रखा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार विभागीय पदोन्नति के मुद्दे पर उन्हें सस्पेंड किया गया है।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ढल्ला का ट्रांसफर बीकानेर से जोधपुर के लिए किया गया था। इसके बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड टाइम में मुख्यालय झालावाड़ रखा गया है। पिछले लंबे समय से ढल्ला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत थे, जहां से उनका तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद से ही ढल्ला विदेश गए हुए हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने निलंबन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई थी। ढल्ला ही इस काम को देखते हैं। राज्य सरकार के आदेश के चलते रिव्यू डीपीसी नहीं होने से शिक्षा मंत्री कार्यालय उनसे नाराज रहा। अब उनको निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए अर्से से निदेशालय में जमे कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था। इसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्टाफ ऑफिसर अरुण शर्मा का भी बीकानेर से उदयपुर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं एक अन्य जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष सहायक निदेशक का डेपुटेशन रद्द करते हुए बीकानेर से भेज दिया गया था। इसमें कुछ अधिकारियों ने ज्वाइन किया और किसी ने नहीं किया।

दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर दो अलग-अलग स्थानों पर दो आरोपियों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। नान्ता थाने के उप निरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर घूम रहे व्यक्ति को डिटेन कर तलाशी ली गई। पुलिस टीम ने उसके पास से अवैध चाकू बरामद किया। पुलिस ने नान्ता निवासी अभिषेक यादव (22) को गिरफ्तार कर लिया। नान्ता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोई अवैध हथियार लेकर पत्थर-मंडी यूनियन कार्यालय के समीप काई वारदात करने की फिराक में खड़ा है। मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर मौके पर खड़े व्यक्ति को डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध बटनदार हथियार चाकू बरामद किया। पुलिस टीम ने मृदुल कुमार को गिरफ्तार किया।

गहलोत सरकार ने बजरी माफिया पैदा किया था : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़

- 'हमारी सरकार ने तो बजरी के ठेके दिए, सरकार बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है'
- सकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान जाकर आया, पूर्व मंत्री को भी ध्यान रखना चाहिए था कि उसका पीए क्या कर रहा है : राठौड़

पाली, (नि.सं.)। प्रदेश में बजरी माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में इसका श्रीगणेश हुआ। हमारी सरकार ने तो बजरी के ठेके दिए, सरकार बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यह बात बुधवार को पाली में अपने निवास पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कही। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया ने इसे बिजनेस बना दिया, जिसे भजनलाल सरकार सुधारने में जुटी है। अभी भी कुछ जगह चोरी-छिपे अवैध बजरी का खनन हो रहा है, इसको लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोषियों को कानूनी रूप से दंडित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली खाद को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे मंत्री खुद मौके पर जा रहे हैं। पंजाब और श्रीगंगानगर के रास्ते में प्रदेशभर में फैल रहे स्मैक, एमडी जैसे नशे को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारियां की जा रही है ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके। नशे और अवैध बजरी पर अंकुश लगाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे पास जादू का डंडा नहीं है। भजनलाल सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और पुख्ता कार्रवाई के लिए सबूत चाहिए, इसलिए पुलिस सबूत के साथ कार्रवाई कर रही है। बातों से कार्रवाई नहीं होती।

कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पीए सकूर खान को जासूसी के मामले में गिरफ्तार करने के मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सकूर खान 15 साल में 7 बार पाकिस्तान जाकर आया। कई सूचनाएं दुश्मन देश तक पहुंचाई। पूर्व मंत्री को भी ध्यान रखना चाहिए था कि उसका पीए क्या कर रहा है। उन्होंने उसे पांच साल तक अपने पास कैसे रखा। अब वे जांच में सहयोग करें ताकि पूरा चैनल पकड़ा जा सके, वर्ना ऐसा माना जाएगा कि वे भी कहीं न कहीं दोषी है।

पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार अलर्ट रोहट क्षेत्र में पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि वे रोहट क्षेत्र में जाकर आए थे। समस्या को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और हर घर पानी पहुंचाने के लिए अगर पानी के टैंकर चलाने पड़े तो सरकार वह काम भी करेगी, लेकिन लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

प्रभारी मंत्री आज झालावाड़ में

झालावाड़। झालावाड़ जिले में 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल स्त्रोतों के संरक्षण, पुनरुद्धार और स्वच्छता के साथ-साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, 5 जून को झालावाड़ के दौरे पर रहेंगे और इस अभियान की शुरुआत करेंगे।

फल-सब्जी विक्रेताओं के चालान काटे

कोटा, (निसं)। प्री-मानसून बरसात के दौरान मंगलवार को भीमगंजमंडी क्षेत्र में जल भराव पर नगर निगम कोटा उत्तर ने सख्त रूख अपनाया है। निगम के स्वास्थ्य अनुभाग की टीम ने बुधवार को फल-सब्जी के अपशिष्ट और अन्य कचरा फेंक कर सब्जीमंडी नाले को जाम कर रहे 23 फल-सब्जी विक्रेताओं के चालान काटे और 45 को चेतावनी दी। वहीं नाले की सफाई के लिए भी जेसीबी लगाई गई। नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी स्वास्थ्य अनुभाग की टीम को लेकर भीमगंजमंडी से सब्जीमंडी नाले पर पहुंचे।

पूर्व विधायक कामिनी और अन्य के खिलाफ अतिरिक्त अनुसंधान के आदेश

कोतवाली थाना में दर्ज शेयरों को लेकर धोखाधड़ी का मामला, इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआर लगा दी थी

- परिवादी ने मामले के अतिरिक्त अनुसंधान के लिए न्यायालय से निवेदन किया था

श्रीगंगानगर, (निसं)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पूर्व विधायक कामिनी जिंदल व अन्य के खिलाफ कोतवाली थाना में दर्ज शेयरों को लेकर धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस को अतिरिक्त अनुसंधान के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआर लगा दी थी।

विष्णु अग्रवाल निवासी सादुलशहर की ओर से 26 सितंबर 2023 को कोतवाली थाना में दर्ज करवाई गई एफआईआर में विकास डब्लूयूएसपी लिमिटेड की चेयरपर्सन विमला देवी, डायरेक्टर कामिनी जिंदल, सीएस रविंद्र गुप्ता, पवन सिंगला, बूटासिंह, बलजिंद्र सिंह, गुंजन कुमार, विकास प्रोपेम्ट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुमन देवी, अरूण सिंगला, पवन सिंगला, मैनेजिंग डायरेक्टर विमला देवी जिंदल, डायरेक्टर कामिनी जिंदल, कंपनी के अन्य कर्मचारी, स्थानीय फ्रेंचाइजी के प्रभारी देवेंद्र मित्तल, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिडेट कंपनी सचिव, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को आरोपी बताया गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद एफआर लगा दी। अब परिवादी विष्णु अग्रवाल ने मामले के अतिरिक्त अनुसंधान के लिए धारा 193 (9) के तहत न्यायालय से निवेदन किया था।

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता जितेंद्र पाराशर ने बताया कि विष्णु अग्रवाल की दादी सरस्वती के नाम से विकास डब्लूयूएसपी लिमिटेड के 1,79,50,000 इक्विटी शेयर 2011 में लिए गए थे। इसके अलावा विकास प्रोपेम्प एंड ग्रेनाइट लिमिटेड के इक्विटी शेयर भी थे। इनकी वैल्यू 20,86,12,980 रुपए थी। पाराशर ने बताया कि सरस्वती देवी की मृत्यु 2014 में हो गई। इसके बाद 2017 में फर्जी डिक्री के आधार पर शेयर ट्रांसफर किए गए। सरस्वती देवी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा शेयर्स का बेचान या स्थानांतरण नहीं किया गया था। इसके बाद कंपनी के कार्यालय और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड की श्रीगंगानगर स्थित फ्रेंचाइजी गणपति सिक्योरिटी लिमिटेड के मालिक देवेंद्र मित्तल से संपर्क किया गया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सेबी व पीएमओ में शिकायत करने के बाद ई-मेल के माध्यम से पता चला कि इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर न्यायालय के आदेश पर किया गया है।

एडवोकेट पाराशर ने बताया कि न्यायालय के आदेश की नकल का आवेदन करने पर पता चला कि कोई डिग्री आदेश पारित नहीं हुआ। इसे लेकर 2023 में कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सभी तथ्यों की जांच किए बिना एफआर लगा दी। पाराशर ने बताया कि अदालत ने कोतवाली पुलिस को अतिरिक्त अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं।

बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से साढ़े चार करोड़ रुपये चुराकर शेयर मार्केट में लगाए

आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला मैनेजर को ग्राहकों के खाते से रुपए चुराने के मामले में गिरफ्तार किया

- बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया, 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से अवैध रुप से निकासी की

कोटा, (निसं)। शहर के औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की श्रीराम नगर शाखा में ग्राहकों के खातों से साढ़े चार करोड़ से अधिक रूपये धोखाधड़ी से चुराने का मामला सामने आया है। बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया। उसने यह पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहां अधिकांश पैसा डूब गया।

इसकी जानकारी बैंक को उसके ट्रांसफर होने के बाद उस वक्त चली, जब एक ग्राहक अपनी एफडी की जानकारी करने आया। इस पर बैंक ने फरवरी 2025 में उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला बैंक की पूर्व मैनेजर साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार साक्षी गुप्ता ने 40 खातों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा अवैध रूप से शुरू की। 31 ग्राहकों की एफडी समय से पहले मैच्योर कर दी और इसमें से 1 करोड़ 34 लाख 90 हजार 254 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसी प्रकार साल 2023 में एक बुजुर्ग महिला के खाते से तीन करोड़ से अधिक की निकासी कर ली गई। अधिकतर लेनदेन इंस्टा कियोस्क और डिजिटल बैंकिंग चैनलों से किए। उसने चार ग्राहकों के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से भी लेनदेन किए। यह सारा पैसा डिमैट अकाउंट में भेज दिया।

उद्योग नगर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी साक्षी गुप्ता मूल रूप से रावतभाटा की निवासी है। वह विज्ञान नगर इलाके में रहती है। बैंक प्रबंधन ने इस संबंध में 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया गया था कि करीब 41 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से निकासी की गई है। साक्षी गुप्ता ने गलत तरीके से रुपए निकालकर शेयर बाजार में लगा दिए। यहां तक कि ग्राहकों के मोबाईल नंबर तक बदल दिए, ताकि ट्रांजेक्शन मैसेज से उन्हें पता नहीं चले। उसने ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी के गलत इस्तेमाल कर लेनदेन किए। थानाधिकारी ने बताया कि बैंक ने 4.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की श्रीराम नगर ब्रांच के वर्तमान मैनेजर ने पूर्व मैनेजर साक्षी गुप्ता के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से अवैध रुप से निकासी कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। पुलिस टीम ने मामले में अनुसंधान करते हुए पूर्व मैनेजर साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।